भारतीय संघवाद में छोटे राज्यों की मांग की राजनीति

***रेखा**

भारतीय लोकतात्रिक व्यवस्था विविधताओं से परिपूर्ण है। जहाँ बहुधर्मी, बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक समाज की विध ामानता है। भारतीय समाज की प्राचीन संस्कृति इन्ही विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में ही ''बसुधैव कुटुम्बकम'' ''विविधता में एकता'' तथा सामासिक संस्कृति'' जैसी अवधारणाओं को प्रमाणित कर रही है। विविधताओं से परिपूर्ण भारतीय समाज में कई संस्कृतियाँ प्राचीन काल से अब तक अपना सहअस्तित्व बनाकर फलीभूत हो रही है। चूँकि भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है तथा विश्व में विशाल जनसंख्या वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र है साथ ही भारतीय व्यवस्था अनेक छोटे–छोटे राज्यों में विभाजित रही है। अंग्रेजी शासन काल में हमारी राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुँचा जब फूट डालों और राज करो की नीति के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता भंग हुई।

इसी प्रकार भारतीय व्यवस्था में 552 देशी रियासतो का एकीकरण करना तथा हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर जैसी रियासतो द्वारा प्रथकता की मांग तथा क्षेत्रीय विभिन्नताए आदि वह कारक रहे है जो संघवाही व्यवस्था की आवश्यकता को अनिवार्य बनाते है। संघवाद वह तत्र है जिसके द्वारा राज्य की दी सारी शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध य होता है अर्थात केन्द्रीय एवं राज्य सरकार। संघवादी व्यवस्था इन्हीं सरकारों के आपसी सहयोग से संचालित होती है। भारतीय संघवादी व्यवस्था में राज्यों की राजनीति की एक प्रवृत्ति के रूप में छोटे राज्यों की मांग एक जटिल मुद्दा रहा है। जिसने इस व्यवस्था को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित किया है। 1950 के दशक से शुरू हुई इस मांग ने वर्तमान अत्यधिक जोर पकड़ लिया है तथा सम्पूर्ण भारत के लगभग सभी भागों से छोटे राज्यों की मांग लगातार किसी ना किसी अधार पर उठाई जा रही है। कही इसका आधार बहुत ही अहम मुद्दे जैसे– विकास का अभाव, पिछड़ापन आदि रहा है तो कही यह क्षेत्रीयतावाद जैसे भावनात्मक मुद्दो के रूप में केवल राजनीति के स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाया जा रहा है।

भारतीय लोकतंत्र 29 राज्यों तथा 7 केन्द्र शासित इकाईयों से निर्मित संघवादी व्यवस्था है जो भौगोलिक दृष्टि से विशालता के साथ सामाजिक–सांस्कृतिक वैविध्यता से परिपूर्ण है। भारत की इस विविधता के परिप्रेक्ष्य में जब कुछ क्षेत्रों द्वारा भाषा और संस्कृति के आधार पर पृथक राज्य की मांग उठी और व्यापक आंदोलन चलाया गया तो भारत में पहले भाषायी राज्य आंध्रप्रदेश (तेलगूभाषी) का 1953 में गठन किया गया। इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2000 तक विभिन्न नवीन राज्यों का गठन किया गया तथा हाल ही में तेलगांना के रूप में 29 वें राज्य का गठन किया गया।

भारत में छोटे राज्यों की मांग की राजनीति को ऐतिहासिक संदर्भ में देखने पर स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व 1919 के माण्टेग्यू–चेम्सफोर्ड एक्ट में ब्रिटिश सरकार द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का विचार दिया गया था। जिसका बाल गंगाधर तिलक व महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में भी इस विचार का समर्थन किया गया था। किन्तु भारत की एकता और अखण्डता के लिए खतरा केन्द्रीय सत्ता को कमजोर बनाने तथा संकीर्णतावादी प्रवषति के पनपने की आशंका के आधार पर राज्य निर्माण (भाषायी आधार) को तत्काल नहीं किया गया। इसकी उपयुक्तता की जांच करने हेतु **एस0 के0 धर की अध्यक्षता में आयोग** गठित किया गया। जिसने भाषायी आधार को अस्वीकार कर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुर्नगठन का समर्थन किया। हालांकि 19 अक्टूबर 1952 को तेलगूभाषी राज्य का आंदोलन तथा गांधीवादी कार्यकर्त्ता श्री रामुल्लू के आमरण अनशन के कारण हुई मष्त्यु के पश्चात 1953 मे प्रथम भाषायी राज्य आंध ्रप्रदेश का गठन हुआ।

*जूनियर रिसर्च फेलो(यू0 जी0 सी0), राजनीतिशास्त्र विभाग, डी0 एस0 बी0 कैम्पस नैनीताल

भाषायी आधार पर आंध्रप्रदेश के गठन के पश्चात देश मे इसी आधार पर अन्य क्षेत्रो से भी पथ्थक राज्य की मांग उठने लगी। परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन के लिये सुझाव देने हेतु **फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953)** का गठन किया गया। जिसकी सिफारिशों को स्वीकार करके 1956 में 14 राज्यों व 6 केन्द्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया। जैसे केरल, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश आदि। इसी प्रकार 1960 में बम्बई के पुनर्गठन द्वारा गुजरात तथा महाराष्ट्र, 1963 में असम को विभाजित करके नागालैण्ड, 1966 पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, मेघालय, तथा त्रिपुरा 1975 में सिक्किम, 1987 में अरूणाचल प्रदेश व निजोरम तथा गोवा राज्य बनाया गया। जबकि 2000 में उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ व झारंखण्ड अस्तित्व में आये तथा 2014 में तेलंगाना के रूप में सबसे नया राज्य बनाया गया।

ग्यातव्य है कि जहाँ **प्रथम दौर** में आन्दोलन एवं मांग का आधार भाषायी था। वही छोटे राज्यों की मांग के सांस्कृति आधार को प्रतिस्थापित कर **दूसरे चरण** के आन्दोलनों ने आर्थिक असंतुलन, प्रशासनिक अक्षमता, राजनीतिक महत्वकांक्षा, उपक्षेत्रीय पिछड़ापन तथा अल्पविकास आदि को अपने संघर्ष का आधार बना लिया। जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त राज्यों के गठन के पश्चात् भी आज संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों से नए राज्यों के गठन की मांग उठ रही है, जिसमें महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तरप्रदेश में पूर्वाचल, हरित प्रदेश एवं बुदेलखण्ड, गुजरात में सौराष्ट्र, असम में बोडोलैण्ड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैण्ड की मांग उठ रही है।

उपरोक्त राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् भी छोटे राज्यों की मांग की प्रक्रिया रूकी नहीं तथा यह भाषा के साथ नए मुद्दों को जोड़कर और भी मुख्य रूप से उभरी। यह नवीन मुद्दे निम्नलिखित हैः–

1. भिन्न संस्कृति होने के कारण अपने को अन्य क्षेत्रों से पृथक मानने तथा अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु पथ्थक राज्य की मांग।
2. एक राज्य के भीतर उपक्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन तथा पिछड़ापन भी इस मांग का कारण है।
3. एक राज्य में किसी क्षेत्र का अधिक विकसित होना जो अधिक राजस्व प्रदान करता है तथा जिसे विकास हेतु उसकी आकांक्षा के विपरीत अपना भाग नहीं मिल पाता तो ऐसे क्षेत्र द्वारा मांग करना।
4. जनसांख्यिकीय विशेषता भिन्न होने के कारण एक क्षेत्र के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु बनाई गई जातीय आरक्षण आदि की व्यवस्था उपयुक्त न होने के कारण।

पूर्व पृथक राज्यों की सफल मांग के अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों से आज भी लगातार छोटे राज्यों के निर्माण की मांग उठ रही है जैसे–

1. विदर्भ – महाराष्ट्र राज्य से अल्पविकास के कारण।
2. गोरखालैण्ड – पृथक पहाड़ी संस्कृति के कारण प. बंगाल से।
3. बोडोलैण्ड – असम से पथ्थक जनजातीय संस्कृति के कारण।

इन मुख्य मांगों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, पूर्वचल, बुंदेलखण्ड, तमिलनाडु में दक्षिणी तमिलनाडु, गुजरात में सौराष्ट्र, उड़ीसा में कोसल प्रदेश, बिहार में मिथिलांचल, मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश, राजस्थान में थारू प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख के रूप में छोटे राज्यों की मांग की जा रही है।

छोटे एवं पृथक राज्य की मांग के उपरोक्त प्रत्यक्ष आधारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कारक कभी विद्यमान है जो इन मांगो को प्रोत्साहित करते है जिसमें– राजनीतिक शक्तियों के निर्हित स्वार्थो तथा पद प्राप्ति की महत्वकांक्षा, वोट बैंक की प्राप्ति हेतु भाषा तथा अन्य संवेदनशील मुद्दों को आधार बनाकर पृथक राज्य की मांग के रूप में उठाना शामिल है।

उदाहराणार्थ, एम0 चेन्ना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति के अन्तर्गत पथ्थक तेलगांना राज्य के लिए 1969 से 1971 के बीच आन्दोलन चलाया और इसी के परिणामस्वरूप तेलगांना क्षेत्र से 16 लोकसभा सीटें जीती तथा मुख्यमंत्री का पद भी प्राप्त किया।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य छोटे राज्यों के गठन की मांग के पक्ष व विपक्ष का विशद् विश्लेषण कर इसके औचित्य का परीक्षण करना है। छोटे राज्यों के गठन के समर्थन में भाषायी तथा सांस्कृतिक आधार, आर्थिक तत्व, प्रशासनिक सक्षमता, सुशासन, जनता की प्रशासन में अधिकाधिक भागीदारी, भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय, राजनीतिक आधार के रूप में तर्क दिये गये, वही प्रस्तुत पक्षों के अतिरिक्त छोटे राज्यों की मांग के विरोधी पक्षो का तर्क है कि भारत में छोटे राज्यों की बढ़ती मांग देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा बन सकती है। क्षेत्रवादी संकीर्ण मनोवृति पनपने और असामाजिक तत्व व बाहरी शक्तियों द्वारा इसका लाभ उठाने का खतरा भी लगातार बना रहता है।

इसी प्रकार छोटे राज्यों के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न संपत्ति, प्रशासनिक सुविधाओं, संसाधनों का सम्यक वितरण करने की समस्या के कारण भी विरोध किया जाता है। इसी प्रकार छोटे राज्यों में राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा रूपी निहित स्वार्थो तथा राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उठायी जाने वाली मांगों का भी विरोध किया जाता है। छोटे राज्यों के पास प्राकृतिक मानवीय व भौतिक संसाधन भी सीमित होते है। नए राज्यों को प्रशासनिक तथा वित्तीय रूप से स्थापित करने के लिये काफी धन, समय तथा प्रयास की आवश्यकता होती है। छोटे राज्यों में पर्याप्त संसाधन तथा तकनीकी विकास न होने के कारण केन्द्र सरकार पर इनकी निर्भरता बढ़ती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि छोटे राज्यों कें नेतष्त्वकर्ता इनके अच्छे प्रशासन तथा तीव्र विकास की गारंटी नहीं दे सकते यदि संसाधन सीमित हो ऐसे राज्यों के पर्याप्त विकास के लिए विकास प्रशासन, गतिशील नेतष्त्व का अभाव तथा उधमशीलता व योग्यता की कमी बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसे राज्यों में राजनीति या सामाजिक स्तर पर किसी प्रभावी जाति या समुदाय विशेष का वर्चस्व स्थापित होने का खतरा भी रहता है तथा अंतर्क्षेत्रीय विवादों की उत्पत्ति भी हो सकती है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में छोटे राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसकी मांग ने संघात्मक व्यवस्था को नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों दर्ष्टि से गहरे प्रभावित किया है। चूँकि नकारात्मक रूप से यह भारत की एकता और अखण्डता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। जब यह केवल राजनीतिक स्वार्थ की दर्ष्टि से मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पीछे राजनीतिक पद (मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री आदि) की प्राप्ति की लालसा होती है। परन्तु जब यह विकास, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य मुद्दों पर आधारित होता है तो यह यह भारतीय संघवादी व्यवस्था को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। सम्पूर्ण देश के विकास हेतु प्रेरित करता है। क्षेत्रीय मुद्दों का राष्ट्रीय समस्याओं से समायोजन करता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करता है तथा सभी लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु सहायता करता है। इस प्रकार सभी राज्यों के समान विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर केन्द्र एवं राज्यों की पारस्परिक अन्तानिर्भरता को मजबूत बनाकर ''सहयोगी संघवाद'' को दष्ढ़ता प्रदान करता है।

सन्दर्भ सूची

1. डायसी, ए0 सी0– लॉ ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन, मैकमिलन एण्ड कम्पनी, लन्दन, 1938 प0 –138
2. Tripathi, A.K., Regional Politics in india, Murarilal and sons, New Delhi 2008, Pp-1-5
3. फड़िया, बी0 एल– भारतीय शासन एव राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2012, पृ0 596
4. Sarangi, Asha, Reorganization then and now, Frontline, Vol.26, Dec. 19-1 Jan. 2011, P.15
5. Dhar, Sujoy, India, Smaller States Demand Self-Rule, Inter press Service (IPS), Jan, 13,2011